अनुदान संख्या 14 - दूरसंचार विभाग
GRANT No.14 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	8745,82,00	8745,83,00	8634,29,32	-111,53,68
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital**:				
स्वीकृत -	Voted-		1027,96,00	57,86,66	-970,09,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				962,23,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat –Economic Services				
मू.	O.	39783.00	36205.00	32452.32	-3752.68
पु.	R.	- 3578.00			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	395900.00	486664.38	482297.32	-4367.06
पु.	R.	90764.38			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	24078.00	..	..	..
पु.	R.	-24078.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3275"	Major Head "3275"				
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services				
मू.	O.	414821.00			
पू.	S.	1.00	351713.62	348679.68	-3033.94
पु.	R.	-63108.38			

(I) ₹25136.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹25034.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹25136.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹25034.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र" - ₹200.00 लाख सुरक्षा परीक्षण और कार्यक्रम का कार्यान्वयन संबंधी मानक और कार्यप्रणाली तैयार किए जाने में विलम्ब होने के कारण थे।

(A) Major Head "3451" - "General Administration - Department of Telecommunications -Telecom Testing and Security Certification Centre"- ₹200.00 lakhs - due to delay in framing of standards and methodology for security testing and implementation of the programme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "सचिवालय - आर्थिक सेवाएं - सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र" - ₹3078.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और "सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी" स्कीम का कार्यान्वयन न होने के कारण थे।

(ख) "अन्य संचार सेवाएं - विश्वव्यापी सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाता - विश्वव्यापी सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" - ₹21000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और "विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि" स्कीम का कार्यान्वयन न होने के कारण थे।

(B) Major Head "2552" -

(a) "Secretariat - Economic Services - General Administration -Department of Telecommunications - Centre for Development of Telematics" - ₹3078.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-implementation of "Security Research and Monitoring" Scheme.

(b) "Other Communication Services - Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - ₹21000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-implementation of "Universal Service Obligation Fund" Scheme.

(गा) मुख्य शीर्ष "3275" - "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - विश्वव्यापी सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" - ₹756.00 लाख बेतार ब्रॉडबैंड स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और नामावलियों में कमी की वजह से शामिल न किए गए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन चरण-II के दावों को अनुमति न दिए जाने तथा सौर फोटो वोल्टीय माड्यूल्स और चार्ज इंडिकेटरों का प्रावधान न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सचिवालय - सचिवालय - संचार मंत्रालय" - ₹309.19 लाख की बचत (₹697.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग" -

(क) "दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र" - ₹163.84 लाख की बचत (₹1226.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र" - ₹6506.00 लाख की बचत (₹19106.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी" स्कीम का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(ग) "अनुरक्षण" - ₹110.42 लाख की बचत (₹172.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन अनुरक्षण कार्य के लिए कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) "सतर्कता दूरसंचार निगरानी कक्ष" - ₹1002.77 लाख की बचत (₹2919.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएमएस उपस्कर कक्ष और सुरक्षित नेटवर्क, दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन तथा निगरानी कक्षों में टी डब्ल्यू ए एन नेटवर्क का कार्यान्वयन/की स्थापना न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(C) Major Head "3275"-"Tribal Area Sub-Plan - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation"- ₹756.00 lakhs - due to non-finalisation of Wireless Broadband Scheme and disallowing of claims for uncovered Village Public Telephones (VPTs) Phase-II owing to shortfall in roll out and non-provision of Solar PhotoVoltaic Modules and Charge Indicators.

(II) Under Major Head "3451"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Secretariat - Ministry of Communications"- saving of ₹309.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹697.00 lakhs); and

(B) "General Administration - Department of Telecommunications" –

(a) "Telecommunication Engineering Centre"- saving of ₹163.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1226.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(b) "Centre for Development of Telematics" – saving of ₹6506.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19106.00 lakhs) was due to non-implementation of "Security Research and Monitoring" Scheme.

(c) "Maintenance"- saving of ₹110.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹172.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards building maintenance work.

(d) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" – saving of ₹1002.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2919.00 lakhs) was due to non-implementation/establishment of CMS equipment room and secure network, TWAN Network in Telecom Enforcement Resources and Monitoring (TERM) Cells and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन" - ₹6243.33 लाख की बचत (₹84758.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "उपदान - सामान्य पेंशन" - ₹4678.89 लाख की बचत (₹99511.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "छुट्टी नकदीकरण हितलाभ - सामान्य पेंशन" - ₹430.17 लाख की बचत (₹990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें भारत संचार निगम लिमिटेड से कम संख्या में मामलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निगरानी सेवाएं - निगरानी सेवाएं" - ₹5255.85 लाख की बचत (₹7171.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी स्कीमों का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(खा) "विश्वव्यापी सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति - सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" - ₹19447.80 लाख की बचत (₹188244.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "आरक्षित निधियों को अंतरण - विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि को अंतरण" - ₹41203.80 लाख की बचत (₹210000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बेतार ब्रॉडबैंड स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और नामावलियों में कमी की वजह से शामिल न किए गए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन चरण-II के दावों को अनुमति न दिए जाने तथा सौर फोटो वोल्टीय माड्यूल्स और चार्ज इंडिकेटरों का प्रावधान न होने के कारण हुईं।

(घा) "अन्य व्यय" -

(III) Under Major Head "2071" – "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Commuted Value of Pension - Ordinary Pensions" - saving of ₹6243.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹84758.00 lakhs);

(B) "Gratuities - Ordinary Pensions"- saving of ₹4678.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹99511.00 lakhs); and

(C) "Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions" – saving of ₹430.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹990.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less number of cases from Bharat Sanchar Nigam Limited.

(IV) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Monitoring Services – Monitoring Services" - saving of ₹5255.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7171.00 lakhs) was due to non-implementation of technical schemes.

(B) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers" - saving of ₹19447.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹188244.00 lakhs); and

(C) "Transfer to Reserve Funds - Transfer to Universal Service Obligation Fund"- saving of ₹41203.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of Wireless Broadband Scheme and disallowing of claims for uncovered Village Public Telephones (VPTs) Phase-II owing to shortfall in rollout and non-provision of Solar Photo Voltaic Modules and Charge Indicators.

(D) "Other Expenditure" -

(क) "प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन" - ₹171.25 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश यात्रा व्ययों और विज्ञापन एवं प्रचार के संबंध में कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" - ₹202.86 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2002.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तथा एशिया पैसिफिक दूरसंचार को अंशदान के कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹136.94 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 45 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "3451" - "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - निदेशालय" - ₹1120.58 लाख का अधिक व्यय (₹14764.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से कर्मचारियों के वापस आने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" -

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - ₹ 87105.82 लाख का अधिक व्यय (₹179902.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित दूरसंचार विभाग के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के पूर्व-2007 संशोधन और द्वितीय पीआरसी के परिणामस्वरूप बकायाओं का निपटान किए जाने और भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की पदोन्नति स्कीमें लागू किए जाने के परिणामस्वरूप पेंशन में संशोधन होने के कारण हुआ।

(खा) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन" - ₹10630.12 लाख का अधिक व्यय (₹30698.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित दूरसंचार विभाग के गैर-

(a) "Technology Development and Investment Promotion"- saving of ₹171.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to receipt of less claims in respect of foreign travel expenses and advertising and publicity.

(b) "International Co-operation"- saving of ₹202.86 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2002.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012) was due to receipt of less claims against contribution towards International Telecommunication Union and Asia Pacific Telecommunication.

(V) Under two heads savings of ₹136.94 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 13 percent and 45 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "3451" - "General Administration - Department of Telecommunications - Directorate" - excess of ₹1120.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14764.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries owing to repatriation of staff from Bharat Sanchar Nigam Limited and Mahanagar Telephone Nigam Limited.

(II) Major Head "2071" - "Civil" -

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - excess of ₹87105.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹179902.00 lakhs) was due to clearance of arrears on account of pre-2007 revision cases and 2nd PRC for non-executive staff of DoT employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited and implementation of promotion schemes of BSNL employees leading to Pension revision.

(B) "Family Pensions - Family Pensions" - excess of ₹10630.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30698.00 lakhs) was due to clearance of arrears

कार्यकारी कर्मचारियों के पूर्व-2007 संशोधन और द्वितीय पीआरसी के परिणामस्वरूप बकायाओं का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

on account of pre-2007 revision and 2nd PRC for non-executive staff of DoT employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited.

(III) मुख्य शीर्ष "3275" - "अन्य व्यय - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" - ₹1000.00 लाख का अधिक व्यय (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना" के कार्यान्वयन और कार्यालय भवन के किराए में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(III) Major Head "3275" - "Other Expenditure - Telecom Regulatory Authority of India"- excess of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to implementation of "Institutional Capacity Building Project" and increase in rent of office buildings.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	10102.00	..	..	..
पु.	R.	-10102.00			
मुख्य शीर्ष "5275" अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	92693.00	6573.00	5786.66	-786.34
पु.	R.	-86120.00			

(I) ₹11004.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10900.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹11004.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹10900.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" - ₹10000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" - "Capital Outlay on other Communication Services - Other Expenditure - OFC based network for Defence Services" - ₹10000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "5275" - "अन्य संचार सुविधाएं - बेतार आयोजना और समन्वय" - ₹900.00 लाख राष्ट्रीय रेडियो स्पैक्ट्रम एवं निगरानी प्रणाली स्कीम के अंतर्गत वार्षिक अनुरक्षण संविदा का कार्यान्वयन न होने के कारण थे।

(B) Major Head "5275" - "Other Communication Facilities - Wireless Planning and Coordination" - ₹900.00 lakhs - due to non-implementation of Annual Maintenance Contract under the scheme National Radio Spectrum Management and Monitoring System.

(II) मुख्य शीर्ष "5275" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5275" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य संचार सुविधाएं - कार्यालय भवन" - ₹570.85 लाख की बचत (₹945.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बेतार निगरानी स्टेशनों के लिए राज्य सरकार/भारत संचार निगम लिमिटेड से भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Other Communication Facilities - Office Building" - saving of ₹570.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹945.00 lakhs) was due to delay in acquisition of land from State Government/BSNL for Wireless Monitoring Stations.

(खा) "अन्य व्यय" -

(क) "दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र" - ₹534.35 लाख की बचत (₹742.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगली पीढ़ी की प्रयोगशाला स्कीम का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(ख) "रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" - ₹85000.00 लाख की बचत (₹90000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेना और नौसेना खण्ड द्वारा आप्टिकल फाइबर केबल स्कीम का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure"-

(a) "Telecom Engineering Centre" - saving of ₹534.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹742.00 lakhs) was due to non-implementation of Next Generation Lab Scheme.

(b) "OFC based network for Defence Services" - saving of ₹85000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90000.00 lakhs) was due to non-implementation of Optical Fibre Cable Scheme by Army and Navy segment.

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत ₹92.98 लाख के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं और ये स्वीकृत प्रावधान का 93 प्रतिशत थीं।

4. The above savings were partly offset by an excess of ₹92.98 lakhs under one head constituting 93 percent of the sanctioned provision.

5. ***भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधिः-***

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्ययोग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

5. ***Telecom Regulatory Authority of India General Fund:-***

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 enacted on 28th March, 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 9th January, 2004, broadcasting and cables services have also come under the purview of TRAI. The grants for TRAI is made by Central Government.

वर्ष 2011-12 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2011-12 was as follows:-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	20,56,78
प्राप्तियां	Receipts	52,04,26
अदायगियां	Payments	43,90,00
अंतशेष	Closing Balance	28,71,04

6. ***विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि:-***

नई दूरसंचार नीति 99 में सभी को सामर्थ्ययोग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने के प्रावधान पर विचार किया गया है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जोकि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाइसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रदाताओं से विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का अंतरण बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

6. ***Universal Service Obligation Fund:-***

The New Telecom Policy 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of license fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per Budgetary procedure.

वर्ष 2011-12 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2011-12 was as follows:-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	1687,96,20
अदायगियां	Payments	1687,96,20
अंतशेष	Closing Balance	शून्य NIL